राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

आषाढ़ 12, बुधवार शाके 1941–जुलाई 3, 2019

Asadha 12, Wednesday, Saka 1941–July 3, 2019

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 03, 2019

संख्या एफ.15(1)पुनर्गठन / विधि / पंरा / 2019 / 649 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-13 एवं 102 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभागीय अधिसूचना एफ.15 (1) पुनर्गठन/ विधि/ पंरा/2019/513 दिनांक: 12.6.2019 के अनुसरण में जिला कलेक्टर्स द्वारा पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने के परिणामस्वरूप पुनर्गठित/ पुनर्सीमांकित/ नवसृजित पंचायत समितियों हेतु एक लाख तक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वार्ड होंगे और किसी ऐसे पंचायत समिति क्षेत्र के मामले में जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है, एक लाख से अधिक के प्रत्येक पन्द्रह हजार या उसके भाग के लिए, पन्द्रह की उक्त संख्या में दो की बढोतरी कर दी जायेगी ।

आज्ञा से,

आशुतोष ए.टी. पेडणेकर,

शासन सचिव एवं आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।